4.6.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट मण्डावरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2072-2075 ग्राम मण्डावरा के अनुसार ग्राम मण्डावरा के भूमि ख.नं. 227, 228 की खातेदारी वन विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है। वादीगण प्रस्तुत वाद पत्र के जरिये उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी की घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती चाहता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज गिरदावरी सं. 2012 से 2015 में उक्त वर्णित भूमि की किस्म गै.मु. पहाड़ दर्ज है। गिरदावरी सं. 2028 से 2031 में प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम सं. 2031 में बाबत मौके काश्त दर्शाया गया है। इसके अलावा उपलब्ध रिकार्ड से कहीं भी साबित नहीं होता है कि उक्त वर्णित भूमि कभी भी वादीगण या उनके पूर्वज की खातेदारी भूमि रही हो तथा उपलब्ध दस्तावेजात से वादीगण या उनके पूर्वज की लगातार कब्जा काश्त रहना साबित नहीं होता है। वन विभाग की भूमि पर वादीगण प्रस्तुत वादपत्र के जरिये किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रकरण में वादी ने प्रा.पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 CPC का प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी को पक्षकार बनाया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी राज्य सरकार के प्रतिनिधि है तथा प्रतिवादी नं. 1 की ओर से स्वतः ही पक्षकार होते है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 CPC का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा प्रा.पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 CPC औचित्य विहिन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को कैम्प कोर्ट मण्डावरा में सुनाया गया।